<u>नीति IV / सीबीएम विस्तार / 2007</u>

कोल बेड मीथेन संविदा के तहत अन्वेषण और उत्पादन के लिए अन्वेषण चरणों के विस्तार की नीति

भारत सरकार ने सी बी एम के तीन दौरों के तहत कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और उत्पादन के लिए 26 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं जो मौजूदा स्थिति के अनुसार अन्वेषण के विभिन्न चरणों से गुज़र रहे हैं । इन पर कोल बेड मीथेन (सीबीएम) नीति के ढांचे के भीतर हस्ताक्षर किए गए हैं और सामान्य रूप से संचालन समिति के अनुमोदन से अधूरे न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एम डब्ल्यू पी) को पूरा करने के लिए अन्वेषण चरण । और ।। प्रत्येक में 6 महीने का समय विस्तार प्रदान किया गया है । सीबीएम नीति का उद्देश्य देश में कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और उत्पादन को प्रोत्साहित करना है ।

2 अतीत में, सरकार द्वारा संविदाकारों की ओर से विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अन्वेषण चरणों में बड़ी संख्या में समय विस्तार के मांग संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त किया गया है । अन्वेषण चरण में समय विस्तार की मांग के लिए मुख्य कारण हैं :

- राज्य / सरकार के प्राधिकरणों की ओर से पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने में विलंब ।
- सी बी एम गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए भूमि के अधिग्रहण में प्रक्रियागत विलंब ।
- राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या ।
- बाजार मे उपयुक्त गहन मूल छिद्र के वेधन रिगों की अनुपलब्धता के कारण विलंब ।
- अप्रत्याशित घटना की स्थिति के कारण विलंब ।

3 मॉडल सी बी एम संविदा के अनुसार,अन्वेषण चरण (प्रथम और द्वितीय चरण) की अवधि का 8 (3 + 5) वर्ष तक अधिकतम हो जाती है । तथापि, शीघ्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के क्रम में, प्रथम और द्वितीय चरण के तहत 8 वर्ष की कुल अन्वेषण अवधि से साढे तीन वर्ष (3-1/2) तक (चरण -। में 1 वर्ष और चरण - ।। में 2.5 वर्ष) अन्वेषण अवधि को घटाते हुए अधिकतम 3.5 अंक की सुरक्षित करने के लिए बोली

मूल्यांकन मापदंड (बी ई सी) का प्रावधान किया गया है (अर्थात अवधि में प्रत्येक छह माह की कमी करने से 0.5 अंक) । अधिकतम अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से, कंपनियां बोली लगाते समय, अन्वेषण अवधि को कम करते हुए शीघ्र अन्वेषण के प्रस्ताव किए गए ।

4 संबंधित संविदा में विनिर्दिष्ट किए अनुसार निर्धारित समय के भीतर प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम के पूर्ण न होने के अन्वेषण प्रयासों की पूरी प्रक्रिया पर विभिन्न प्रकार के स्थायी और अस्थायी प्रभाव पड़ते हैं । इनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव हैं :

- अन्वेषण में कार्यकुशलता में तीव्रता लाने और बढ़ोतरी करने के मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएंगे और इससे जटिलता पैदा हो सकती है ।
- ब्लॉकों को समय सीमा के साथ चरण वार प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम के आधार पर सौंपा जाता है । समय विस्तार, बोली संबंधी प्रक्रिया और संविदा की भावना की अखंडता को दुष्प्रभावित करता है ।
- निरंतर समय विस्तार, समान अवसर, सभी को उचित अवसर प्रदान करने, व्यवस्था की पारदर्शिता के प्रमुख उद्देश्य को प्रभावित करता है ।

5 अन्वेषण चरणों में समयविस्तार प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी तथा स्थायी ढांचे को अपनाने के क्रम में, सरकार ने नेल्प संविदा के तहत समय विस्तार की मौजूदा नीति के अनुसरण में सी बी एम संविदाओं के तहत अन्वेषण चरणों में समय विस्तार की अपेक्षा करते प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक विस्तार नीति तैयार की है, जो अभी सरकार के पास लंबित हैं अथवा भविष्य में कभी भी प्राप्त हो सकती हैं । इन नीतिगत दिशानिर्देशों के संदर्भ में, सी बी एम संविदा के तहत चरणबद्ध तरीके से समय विस्तार पर 8 वर्षों की अन्वेषण अवधि की वैधता के भीतर विचार किया जाएगा । इस विस्तार नीति के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं :

अनुपालन

i सी बी एम गैस का शीघ्र अन्वेषण व उत्पादन करने के लिए बोली प्रक्रिया की अखंडता और संविदा की भावना को बनाए रखना ।

ii उचित समय विस्तार प्रदान करना ताकि संविदाकार न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एम डब्ल्यू पी) अथवा अतिरिक्त अन्वेषण कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने में सक्षम हो सकें ।

iii विकास योजना के क्रियान्वयन अथवा उत्पादन अथवा समस्त परियोजना के जीवन चक्र में तथा रॉयल्टी, करों और संविदात्मक भुगतानों में विलंब न हो ।

iv अनावश्यक समय विस्तार की मांग करने अथवा किसी भी या गतिविधियों के बिना अथवा अल्प अथवा धीमी गति से अन्वेषण गतिविधियों को करते हुए रकबों को अधिग्रहित रखने की स्थिति में निवारक के रूप में कार्य करना ।

v नीति द्वारा, अपूर्ण अथवा अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बैंक गारंटी और पूर्व - अनुमानित स्वीकृत निर्णीत हर्जाना (कुछ मामलों / परिस्थितियों में) को जमा कराने के माध्यम से दंड की प्रणाली की परिकल्पना की जाती है । बैंक गारंटी की राशि का प्रस्ताव करते समय, परिस्थितियों / कारकों जैसे कि क्या यह समय विस्तार न्यूनतम कार्य कार्यक्रम अथवा अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए है, क्या संविदा में व्यवसायिकता को संविदा क्षेत्र में स्थापित किया गया है, क्या संविदाकार द्वारा और अधिक अन्वेषण के लिए क्षेत्र को अधिग्रहीत रखने को ध्यान में रखा गया है ।

vi 6 माह का समय विस्तार, संचालन समिति अथवा सरकार द्वारा संबंधित संविदा के प्रावधानों के संदर्भ में योग्यता के आधार पर दिया जा सकता है ।

vii सरकार के अनुमोदनों / परमिटों / अनुमतियों को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष विलंब, जो संविदाकार के कारण नहीं होते हैं को क्षम्य विलंब के रूप में लिया जा सकता है और इस प्रकार के विलंबों को अनदेखा किया जा सकता है । इस संदर्भ में, यदि किसी प्रकार का समय विस्तार सरकार / संचालन समिति द्वारा क्षम्य विलंब के रूप में प्रदान कर दिया जाता है, जो संविदा की प्रभावी तिथि से आरंभ माना जाता है अर्थात समय विस्तार नीति के लागू होने से पूर्व विलंबों को शामिल करते हुए, तब इसे इस सी बी एम समय विस्तार नीति के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा ।

viii यदि, संविदाकार अनुबंधित समय अवधि अथवा समय विस्तारित अवधि के भीतर कार्य कार्यक्रम को पूर्ण नहीं करता है, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा अपूर्ण कार्य कार्यक्रम, यदि कोई हो तो, के लिए सरकार को संविदा के संबंधित प्रावधानों के अनुसार धन का भुगतान करना अनिवार्य होगा ।

1 उपर्युक्त व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने समय विस्तार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नीति को तत्स्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है । नीचे दी गई तालिका में प्रगणित विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों पर सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित किए गए संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

क्रम संख्या	प्रस्तावों के प्रकार (चरण । और चरण ।। में समय विस्तार के लिए लागू)	शर्तें और विनियमन	
1	सरकार की अनुमतियों / परमिटों को जारी करने में विलंब के कारण समय विस्तार की अपेक्षा	किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष विलंब को क्षम्य विलंब के रूप में लिया जा सकता है और दिए गए समय विस्तार को बढ़ाया नहीं जाएगा ।	
2	जहां संबंधित चरण का न्यूनतम कार्य कार्यक्रम उस चरण की अनुबंधित अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किया गया है और न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (क्षम्य विलंब के अतिरिक्त) को पूर्ण करने के लिए चरण । और ।। में समय विस्तार की अपेक्षा की गई है ।	**चरण । और चरण ।। दोनों पर लागू**	
		संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार संचालन समिति द्वारा प्रथम छह माह प्रदान किए जा सकते हैं ।	
		7 से 12 माह	निम्नलिखित शर्तों एवं विनियमनों के आधार पर 6 माह का अतिरिक्त समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : (i) संविदाकार 50 प्रतिशत बैंक गारण्टी (बी जी) प्रस्तुत करेगा, इस प्रकार के अपूर्ण कार्य कार्यक्रम की लागत की राशि की गणना में प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । (ii) समय विस्तार की अवधि को आगामी चरण से पृथक रखा जाएगा ।

			(iii) संविदाकार को संविदा के अनुसार उस क्षेत्र का परित्याग करना होगा ।
		13 से 18 माह	निम्नलिखित के आधार पर 12 माह से अधिक तथा 18 माह तक के किसी प्रकार के समय विस्तार के लिए विचार किया जा सकता है : (i) संविदाकार द्वारा शेष न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के लिए 75 प्रतिशत बैंक गारण्टी (बी जी) और 15 प्रतिशत पूर्व अनुमानित स्वीकृत निर्णीत हर्जाना प्रदान किए जाएंगे, संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के अपूर्ण कार्य कार्यक्रम की लागत की राशि की गणना में प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । (ii) समय विस्तार की अवधि को आगामी चरण से पृथक रखा जाएगा ।
3	जहां न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूर्ण हो गया हो और चरण । और चरण ।। में	**चरण । और चरण ।। दोनों पर लागू**	
		0 से 6 माह	प्रथम छह माह संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार संचालन समिति द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं ।

	अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए समय विस्तार की मांग की जा रही हो ।	7 से 12 माह	निम्नलिखित शर्तों एवं विनियमनों के आधार पर 6 माह तक का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है: (i) संविदाकार द्वारा शेष अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के लिए 35 प्रतिशत बैंक गारण्टी (बी जी) प्रदान की जाएगी, इस प्रकार के कार्य कार्यक्रम की लागत की राशि की गणना में प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । (ii) समय विस्तार की अवधि को आगामी चरण से पृथक रखा जाएगा । (iii) संविदाकार को संविदा के अनुसार उस क्षेत्र का परित्याग करना होगा । (iv) डी जी एच द्वारा संविदाकार के साथ परामर्श करते हुए अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम का यथोचित रूप से निर्णय किया जाएगा ।
		13 से 18 माह	निम्नलिखित के आधार पर 12 माह से अधिक तथा 18 माह तक के किसी प्रकार के समय विस्तार के लिए विचार किया जा सकता है : (i) संविदाकार द्वारा शेष अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत बैंक गारण्टी (बी जी) प्रदान की जाएगी, इस प्रकार के अपूर्ण कार्य कार्यक्रम की लागत की राशि की गणना में प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । (ii) समय विस्तार की अवधि को आगामी चरण से पृथक रखा जाएगा । (iii) डी जी एच द्वारा संविदाकार के साथ परामर्श करते हुए अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम का यथोचित रूप से निर्णय किया जाएगा ।

4	जहां न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूर्ण हो गया हो और व्यवसायिक व्यवहार्यता संविदा की शर्तों के अनुसार स्थापित हो गई हैं, और संविदाकार अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को करना चाहता है ।	**चरण । और चरण ।। दोनों पर लागू**	
		0 से 6 माह	प्रथम छह माह संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार संचालन समिति द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं ।
		7 से 12 माह	निम्नलिखित शर्तों एवं विनियमनों के आधार पर 6 माह तक का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है: (i) संविदाकार द्वारा शेष अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के लिए 35 प्रतिशत बैंक गारण्टी (बी जी) प्रदान की जाएगी, इस प्रकार के कार्य कार्यक्रम की लागत की राशि की गणना में प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । (ii) समय विस्तार की अवधि को आगामी चरण से पृथक रखा जाएगा । (iii) संविदाकार को संविदा के अनुसार उस क्षेत्र का परित्याग करना होगा । (iv) डी जी एच द्वारा संविदाकार के साथ परामर्श करते हुए अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम का यथोचित रूप से निर्णय किया जाएगा ।

		13 से 18 माह	निम्नलिखित के आधार पर 12 माह से अधिक तथा 18 माह तक के किसी प्रकार के समय विस्तार के लिए विचार किया जा सकता है : (i) संविदाकार द्वारा शेष अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के लिए 40 प्रतिशत बैंक गारण्टी (बी जी) प्रदान की जाएगी, इस प्रकार के अपूर्ण कार्य कार्यक्रम की लागत की राशि की गणना में प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । (ii) समय विस्तार की अवधि को आगामी चरण से पृथक रखा जाएगा । (iii) डी जी एच द्वारा संविदाकार के साथ परामर्श करते हुए अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम का यथोचित रूप से निर्णय किया जाएगा ।
5	जहां न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूर्ण हो गया हो तथापि व्यवसायिक व्यवहार्यता अभी स्थापित नहीं हुई हो, और संविदाकार अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को करना चाहता है । (**केवल चरण ।। के लिए)**		
		0 से 6 माह	प्रथम छह माह संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार संचालन समिति द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं ।
		7 से 12 माह	निम्नलिखित शर्तों एवं विनियमनों के आधार पर 6 माह तक का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है: (i) संविदाकार द्वारा शेष अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के लिए 35 प्रतिशत बैंक गारण्टी (बी जी) प्रदान की जाएगी, इस प्रकार के कार्य कार्यक्रम की लागत की राशि की गणना में प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । (ii) समय विस्तार की अवधि को आगामी

			चरण से पृथक रखा जाएगा । (iii) संविदाकार को संविदा के अनुसार उस क्षेत्र का परित्याग करना होगा । (iv) डी जी एच द्वारा संविदाकार के साथ परामर्श करते हुए अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम का यथोचित रूप से निर्णय किया जाएगा ।
		13 से 18 माह	निम्नलिखित के आधार पर 12 माह से अधिक तथा 18 माह तक के किसी प्रकार के समय विस्तार के लिए विचार किया जा सकता है : (i) संविदाकार द्वारा शेष अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत बैंक गारण्टी (बी जी) और 10 प्रतिशत पूर्व अनुमानित स्वीकृत निर्णित हर्जाना प्रदान किए जाएंगे, इस प्रकार के कार्य कार्यक्रम की लागत की राशि की गणना में प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । (ii) समय विस्तार की अवधि को आगामी चरण से पृथक रखा जाएगा । (iii) डी जी एच द्वारा संविदाकार के साथ परामर्श करते हुए अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम का यथोचित रूप से निर्णय किया जाएगा ।